स्कूल बस चालक व परिचालक के लिए निर्देश

परिचालक के कर्तव्य

1. परिचालक एक ऐसा साथी होता है जो चालक को सही ढ़ंग से बस चलाने में सहयोग देता है ।

2. परिचालक को हमेशा बच्चो को बस में चढ़ने व उतरने में सहयोग देना चाहिये।

3. बस से उतरने पर छोटे बच्चों को उनके अभिभावकों को सुरक्षित सौपे।

4. बच्चों को सुरक्षित ढ़ंग से सड़क पार कराना परिचालक का कर्तव्य है।

5. बस की खिड़कियां व दरवाजे बन्द रखें।बस में सफर करने वाले बच्चों पर ध्यान रखें कि वे शरीर का कोई अंग बाहर न निकालें।

6. किसी भी बच्चे को बस के पायदान पर यात्रा न करने दें।

7. विधयालय में पहुंचने पर भी बच्चो को सही ढ़ंग से पंक्तिबद्ध उतारें और सुरक्षित सड़क पार करायें।

8. बस में लगे First Aid Box की दवाईयें का समय-समय पर निरीक्षण कर लें।

यातायात नियमों का पालन करें और हमारी सहायता करें।

दिल्ली यातायात पुलिस

चालक के लिए निर्देश

1. बस चालक व परिचालक अपनी बस में समय से पहले साफ सुथरी वर्दी में पहुंचे एवं आप बस का पूर्ण रूप से निरीक्षण कर सकें।

2. बस चालक व परिचालक का कर्तव्य है कि वह यह देख लें कि बस में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार निम्नलिखित वस्तु हैं या नही (1) First Aid Box (2) Fire Extinguisher (3) Speed Governor (4) बस के ऊपर चारों तरफ बत्तियां (5)School Board आगे व पीछे जिस पर स्कूल के बच्चो का चित्र, विद्यालय का दूरभाष व यातायात पुलिस नियन्त्रण कक्ष 23378840,23378707 अंकित हो।

3. बस को 40 कि.मी. प्र.घ. से तेज न चलाएं एवं बस लेन में ही चलें।

4. किसी भी चार पहिया वाहन को ओवर टेक न करे।

5. स्कूल बस चालक के निर्धारित स्टैण्ड से ही बच्चों को चढ़ाएँ व उतारें, निर्धारित संख्या से अधिक बच्चें न बैठाएँ।

6. बस तब तक न चलाएँ जब तक बच्चे ठीक से उतर न जाएँ या चढ़ कर अपनी सीट पर न बैठ जाएँ।

7. यातायात के नियमों का कभी उल्लंघन न करें।

8. आप अपनी लेन चौराहे से 100 मीटर पहले बदल सकते हैं, यदि आपको चौराहे से दाहिनी सड़क पर जाना है।

9. चौराहे के पास कभी बस को न रोकें। यदि आपके स्कूल ने बच्चो के लिये स्टैण्ड निधारित किया हुआ है। तो आप शीघ्र अपने प्रधानाचार्य से कह कर स्टैण्ड का स्थान स्थानान्तरण करा लें। इससे आपको एवं अन्य वाहनो कों सुविधा रहेगी।

10. स्कूल बस चालक समय को बचाने के लिये या जल्दी पहुँचने के लिये गलत ढ़ंग से बस न चलाएँ।ऐसा करने पर आपको दण्डित किया जा सकता है ।

यातायात नियमों का पालन करें और हमारी सहायता करें।

24 x 7 यातायात पुलिस हैल्पलाईन न0.: 25844444, 1095, SMS: 56767
ई-मैल : info@delhitrafficpolice.nic.in
वैबसाईट : www.delhitrafficpolice.nic.in

दिल्ली यातायात पुलिस